# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 28 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023 | 08.03.2023 | 11.08.2023 |

सत्नारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1—श्री धन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी पांच मन्दिर के पास पुरानी टोंक, टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन फन जोन एण्ड फूड कोर्ट ट्रक यूनियन ऑफिस के पास सदर थाना टोंक जिला टोंक राज.
2—मैसर्स जैन फन जोन एण्ड फूड कोर्ट ट्रक यूनियन ऑफिस के पास सदर थाना टोंक जिला टोंक

..............अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी स्वयं उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 11.08.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.12.2022 को समय 01:30 पी.एम पर मैसर्स जैन फन जोन एण्ड फूड कोर्ट ट्रक यूनियन ऑफिस के पास सदर थाना टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री धन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धन कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु डीप फ्रीजर में स्टील की एक बाल्टी में लगभग 10 किलोग्राम **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री धन कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** वास्ते मानक स्तर की जाँच

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** कुल मात्रा 800 ग्राम को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3404 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3404 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2023 / 24 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 3661 / एक्ट / 2022 / 21 दिनांक 03.01.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री धन कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है, एवं इसके लेबल पर सभी जानकारियां अंकित है, मात्र Milk Fat का परिणाम 2.22% आने की वजह से उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है जो कि मानक अनुसार न्यूनतम 4.5% होना चाहिए। इस खाद्य पदार्थ में अन्य किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है तथा भविष्य में इस खाद्य पदार्थ में इस तरह का कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट**
**टोंक**

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **दही (मिश्रित दूध से निर्मित)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8,000/– (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.08.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक